नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

एक नजर में

एलओसी पर सेना की कार्रवाई, एक आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर. जम्मू-कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) के झंगर-नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया. सेना के अनुसार 10 मार्च 2026 को दोपहर करीब 3 बजे राजौरी जिले के झंगर-नौशेरा इलाके में दो संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई थी. सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया. मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है. सेना ने इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया है.

22 राज्यों में 62 रेस्त्रां पर आयकर ने मारे छापे

नई दिल्ली. आयकर विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों में 62 रेस्त्रां पर छापेमारी की है जिसमें 408 करोड़ रुपये का राजस्व छिपाने की बात सामने आयी है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि 08 मार्च को 22 राज्यों के 46 शहरों में आयकर विभाग ने ये छापेमारी की थी. जांच में रेस्त्रां अपनी बिक्री को कम करके दिखा रहे थे और कुछ बिल को पूरी तरह से रिकॉर्ड से हटा दिया गया था. प्राथमिक जांच में 408 करोड़ रुपये की बिक्री कम करके दिखाने की बात सामने आयी है.

8 .80 लाख करोड़ की मंजूरी

कैबिनेट के 6 बड़े फैसले

नई दिल्ली, 10 मार्च. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में करीब 8.80 लाख करोड़ रुपये से जुड़े छह महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 के विस्तार, मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को फरीदाबाद से जोड़ने वाली सड़क परियोजना, पश्चिम बंगाल में संतरागाछी-खड़गपुर और सैंथिया-पाकुड़ के बीच चौथी रेलवे लाइन तथा मध्य प्रदेश में बदनावर-थांदला-टिमरवानी हाईवे को चार लेन बनाने जैसे अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. इन फैसलों का उद्देश्य देश में

बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और पेयजल व्यवस्था को मजबूत करना है. सूत्रों के अनुसार सरकार ने चीन सहित जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े नियमों में ढील दी है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का फैसला किया है. सरकार के अनुसार, मंदिरों के शहर के रूप में प्रसिद्ध मदुरै का यह हवाई अड्डा दक्षिणी तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है और पर्यटन व तीर्थयात्रा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है. अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी. इससे विदेशी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को भी आकर्षित करने में मदद मिलेगी.

बदनावर-पेटलावाद मार्ग को चार लेन की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के बदनावर-पेटलावाद-थंदला-तिमारवानी खंड को चार लेन में विकसित करने की मंजूरी दे दी है. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 80.45 किमी लंबे इस कॉरिडोर को हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर स्वीकृति दी है. परियोजना की लागत 3,839.42 करोड़ होगी. इससे उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा समय करीब एक घंटे कम होगा. यह मार्ग धार और झाबुआ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास तथा उद्योग और यातायात को भी गति देगा.

यूसीसी लागू करने का समय : सुको

- कोर्ट बोला—फैसला संसद का अधिकार
- कानून को असंवैधानिक घोषित करना समाधान नहीं

नई दिल्ली, 10 मार्च. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का समय आ गया है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला अदालत नहीं बल्कि संसद को लेना होगा. अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की कुछ धाराओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि यदि शरियत कानून की कुछ धाराएं रद्द कर दी जाती हैं तो मुस्लिम समुदाय में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कानूनी अस्पष्टता पैदा हो सकती है.

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए. अदालत ने कहा कि अलग-अलग समुदायों के लिए अलग नियम हैं, लेकिन किसी कानून को सीधे असंवैधानिक घोषित करना समाधान नहीं है. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे का स्थायी समाधान समान नागरिक संहिता है, पर इसे लागू करने का निर्णय संसद को ही लेना होगा. वर्तमान में देश में केवल उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, जिसे 28 जनवरी 2025

कोविड वैक्सीन साइड इफेक्ट पर मुआवजा

नई दिल्ली. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स से प्रभावित लोगों के लिए नो-फॉल्ट मुआवजा नीति बनाने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को वैक्सीन से नुकसान होता है तो बिना गलती साबित हुए भी उसे मुआवजा मिल सकेगा. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि साइड इफेक्ट्स की निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी और इसके लिए अलग विशेषज्ञ समिति बनाने की जरूरत नहीं है.

एमपी में इंटर्न के रूप में युवाओं को मौका

भोपाल, 10 मार्च. भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई.

भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सरकार ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की आगामी पांच वर्षों तक निरंतरता के लिए 33 हजार 240 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को गति देना और

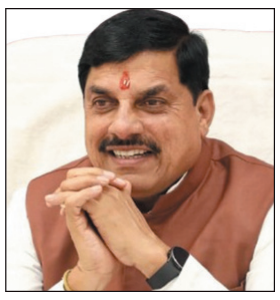

लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

बैठक में मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड-गवर्नेंस प्रोग्राम को मंजूरी दी गई. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अगले तीन वर्षों में लगभग 190 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे युवाओं को प्रशासनिक कार्यों का अनुभव मिलेगा और शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ेगी.

मंत्रि-परिषद ने निःशक्तजनों को वृत्तिकर (प्रोफेशन टैक्स) से छूट को 31 मार्च 2030 तक जारी रखने का निर्णय लिया. इसके साथ ही 'एक जिला-एक उत्पाद 'परियोजना के तहत सात जिलों के पारंपरिक उत्पादों के संरक्षण, विकास और विपणन के लिए 37.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, ब्रांडिंग और बाजार उपलब्धता में मदद मिलेगी.

देश में जनता को कोई समस्या न हो : मोदी

- मिडिल ईस्ट संकट पर केन्द्र सरकार सतर्क
- तेल आपूर्ति और कीमतों को लेकर पीएम ने की बैठक

नई दिल्ली, 10 मार्च. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर तेल और गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की.

बैठक में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वैश्विक हालात के बावजूद देश में आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और ईंधन आपूर्ति सुचारु बनी रहनी चाहिए.

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर नहीं पड़ने दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि देश के पास फिलहाल लगभग 50 दिनों का पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार मौजूद है, जिससे तत्काल किसी संकट की स्थिति नहीं है.

प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित मंत्रालयों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए. भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 90 प्रतिशत ईंधन विदेशों से आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय हालात का असर पड़ने की संभावना रहती है. हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की कोई योजना नहीं है. इस बीच सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है ताकि ईंधन की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके.

> वहीं, ऊर्जा आपूर्ति बहाल करने के लिए भारत ने रूस और अमेरिका से लगभग 22 लाख टन एलपीजीकी खरीद का समझौता किया है. देश में रोजाना करीब 31.3 मिलियन मीट्रिक टन गैस की खपत होती है अर्थात् नित दिन 60 लाख सिलेंडर सप्लाई होते हैं जबकि, 12.8 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन होता है. 33.2 करोड़ एलपीजी के उपभोक्ता हैं .सरकार का कहना है कि इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और अल्जीरिया से भी गैस की आपूर्ति जारी है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत रखने में मदद मिल रही है.